उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 3615–पारे0अनु0–16/पट्राकालि–2018–74/2013 दिनांकः 27 सितम्बर, 2018

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर– I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लि0।

विषयः– ऊर्जा निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी का कोषागारों के माध्यम से भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने अपने पत्र संख्या–07/2018/1247/24–पी–2–18 –सा0(84)/2014 दिनांक 29.06.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि शासनादेश संख्या–02/2018/810/24–पी–2–17–सा0(84)/2014 दि0 26.03.18 के कियान्वयन में कठिनाइयाँ आ रही है। इन कठिनाईयों के निराकरण हेतु उक्त शासनादेश संख्या–07/2018/1247/24–पी–2–18–सा0(84)/2014 दिनांक 29.06.2018 द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–10–124/54– 2018 दि0 27.06.2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है:–

(1) प्रत्येक निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी के बिल कोषागार में प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपद स्तर पर समुचित स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश की प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार तथा प्रदेश के सभी कोषागारों को पृष्ठांकित की जायेगी।

(2) सचिव, ट्रस्ट जिनके हस्ताक्षर शासनादेश संख्या–1/2016/41/24–पी–2–16–सा0(84) /2014 दिनांक 13.01.2016 में दी गयी व्यवस्था अनुसार निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 द्वारा प्रमाणित किये गये है, के द्वारा उपर्युक्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के हस्ताक्षर प्रमाणित कर सम्बन्धित जनपद के कोषागार को प्रेषित किये जायेगें।

(3) अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी भुगतान सम्बन्धी आदेश में सेवानिवृत्त कार्मिक के बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा, आई0एफ0एस0 कोड का विवरण अनिवार्यतः अंकित किया जायेगा। आदेश के साथ बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित एवं आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी।

(4) उपर्युक्त अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिमाह अनन्तिम पेंशन का देयक संगत ट्रेजरी बिल फार्म संख्या–106 पर सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा देयक प्रतिहस्ताक्षरित कर बिल का आहरण अपने डी0डी0ओ0 कोड पर करते हुये अनन्तिम पेंशन की धनराशि ई–पेमेन्ट के माध्यम से सम्बन्धित कार्मिक के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(5) अनन्तिम पेंशन का भुगतान छः माह के लिये किया जायेगा। इस अवधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की अन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी। यदि प्रशासनिक कारणों से अन्तिम पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है, तो अनन्तिम पेंशन की अवधि छः माह के लिए विस्तारित की जा सकेगी। बारह माह के उपरान्त अनन्तिम पेंशन की अवधि का विस्तारण शासन की अनुमति से किया जायेगा।

क्रमशः.....2

(6) अन्तिम पेंशन एवं अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान प्रारम्भ करने के पहले अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी के रूप में आहरित धनराशि का समायोजन क्रमशः पेंशन एवं ग्रेच्युटी से किया जायेगा। इस हेतु तैनाती के अन्तिम कार्यालय द्वारा अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित कोषागार के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उस कोषागार को प्रेषित किया जयेगा, जहां से अन्तिम पेंशन एवं अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान प्रारम्भ किया जाना है।

(7) यह आदेश दिनांक 01.04.20118 से लागू माने जायेगें।

अतः आपसे अनुरोध है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान कोषागारों के माध्यम से कराये जाने हेतु शासन के उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(मुकुल सोनकर)
संयुक्त सचिव (पारेषण)

संख्या : 3615–पारे0अनु0–16/पा0ट्राकालि/2018–74/2013/तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (कोषागार), कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
8. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइड www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
15. कट फाइल।

आज्ञा से

(मुकुल सोनकर)
संयुक्त सचिव (पारेषण)